नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	26-4-17 लैण्ड होल्डर के प्रतिनिधि उपस्थित है। रेस्पोन्डेन्ट्स बावजूद सूचना उपस्थित नहीं है। अतः पत्रावली दि० 12-5-17 को राजस्व लोक अदालत कैम्प मढूकलां पर पेश हो। (हस्ताक्षर)	
	12-5-17 पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत कैम्प मढूकलां पर पेश हुई। अपीलार्थी तहसीलदार गंगापुर सिटी उपस्थित है। रेस्पोन्डेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। अपीलार्थी को सुना गया। प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी	

निर्णय न्यायालय श्री बाबूलाल जाट, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
3/2016	9.3.2016	12.5.2017

तहसीलदार लैण्ड होल्डर गंगापुर सिटी ——अपीलार्थी

बनाम

नरेन्द्र सिंह मावई पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद, गुर्जर निवासी सालोदा तह0 गंगापुर
रामकुमार जागिड पुत्र रामनिवास, जॉगिड निवासी मोहचा तह0 वजीरपुर

——रेस्पोन्डेन्ट

अपील विरूद्ध नामन्तरकरण संख्य 422 व 423 दि0 5.1.2012 ग्राम सालोदा
उपस्थित :— तहसीलदार लैण्ड होल्डर गंगापुर सिटी

निर्णय

अपीलार्थी ने अपील इस आशय की पेश की है कि ग्राम सालोदा जमाबंदी सं0 2068—71 के खाता 36 में ख0नं0 473 रकबा 0.77 है0 धर्मसिंह पुत्र रामचंद, कमोदी, चिरंजी पिता रामचंद जाति गुर्जर खातेदार दर्ज है। खातेदार कमोदी पुत्र रामचंद हिस्सा 1/3 जाति गुर्जर सा.देह ने जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र रेस्पोन्डेन्ट नरेन्द्रसिंह मावई पुत्र रामेश्वर प्रसाद गुर्जर निवासी सालोदा को 1/54 हिस्से का बेचान किया है। जिसका पटवारी हल्का ने नामान्तकरण संख्या 422 दिनांक 5.1.12 दर्ज किया है। रेस्पोडेन्ट नरेन्द्र सिंह मावई ने जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र रामकुमार जागिड पुत्र रामनिवास जागिड निवासी मोहचा को ग्राम सालोदा के ख0नं0 473 रकबा 0.77 है0 में से 145/7700 हिस्सा का विक्रय किया है जो भू खण्ड की श्रेणी में आता है जिसका पटवारी हलका महूकलां ने नामान्तरकरण संख्या 423 दिनांक 5.1.2012 दर्ज किया है। राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ 3/63/ राज0/ग्रुप/2009 दिनांक 28.4.11 एवं परिपत्र दिनांक 25.10.2010 से भूखण्डों के नामान्तरकरण दर्ज किए जाने पर रोक लगाई गई है। पटवारी हलका द्वारा उपरोक्त परिपत्र द्वारा भूखण्डो के नामान्तरकरण दर्ज करने पर रोक होने के उपरान्त भी भूखण्ड का नामान्तरकरण दर्ज किया है जो नियमों के विपरीत है तथा अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त योग्य है। विक्रय किए गए भूखण्ड का उपयोग गैर कृषि कार्य में हो रहा है। उपरोक्त नामान्तरकरण की जानकारी भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनांक 2.12.15 को कार्यालय में रिपोर्ट पेश करने पर आई। धारा 5 मियाद अधिनियम की दर0 अपील के साथ संलग्न है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि ग्राम सालोदा का नामान्तरकरण संख्या 422 व 423 दिनांक 5.1.2012 निरस्त फरमाया जावे।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

अपील के समर्थन में अपीलार्थी ने नकल नामान्तरकरण संख्या 422 व 423 दि0 5.1.2012, फोटोकोपी विक्रय पत्र दिनांक 26.12.2007 एवं 18.5.2011, फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2068 से 2071, सं0 2072 से 2075, फोटोकोपी परिपत्र क्रमांक एफ 3 (63) राज/ ग्रुप–1/2009 दिनांक 28.4.2011 पेश की है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टान को तलब किया गया। रेस्पोन्डेन्टान बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुआ।

बहस अपीलार्थी सुनी गई।

अपीलार्थी लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ने अपनी अपील के अनुरूप बहस करते हुए अपील स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरकरण खारिज करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। विक्रय पत्र दिनांक 26.12.2007 द्वारा कमोदी पुत्र रामचंद जाति गुर्जर निवासी सालोदा तह0 गंगापुर सिटी ने रेस्पोन्डेन्ट नरेन्द्र सिंह मावई पुत्र को ख0न0 473 रकबा 0.77 हैक्टर ग्राम सालोदा में से स्वयं के हिस्से में से हिस्सा 1/18 भूमि विक्रय की है। इस विक्रय का नामान्तरकरण संख्या 422 दि0 5.1.12 पटवारी हलका द्वारा नरेन्द्र सिंह मावई के पक्ष में खोला गया है। नरेन्द्र सिह मावई द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 18.5.11 से रेस्पोडेन्ट रामकुमार जॉगिड को ख0न0 473 रकबा 0.77 हेक्टर के हिस्सा 1/54 मे से 1557.47 वर्गफिट भूमि विक्रय की गई है जो राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ 3 (63) राज/ ग्रुप–1/2009 दिनांक 28.4.2011 के विरूद्ध खोला गया है एवं इस परिपत्र के अनुसार अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त होने योग्य है।

आदेश

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 422 व 423 दिनांक 5.1.2012 ग्राम सालोदा निरस्त किये जाते है। पालना हेतु निर्णय की सत्यप्रति तहसीलदार गंगापुर सिटी को मूल नामान्तरकरण सहित प्रेषित की जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 12.5.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(बाबूलाल जाट)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी